



सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के
मुख्य आयुक्त का कार्यालय, विशाखापट्टणम क्षेत्र
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र,
विशाखापट्टणम - 530035

Office of the Chief Commissioner,
Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone
1st Floor, GST Bhavan, Port Area,
Visakhapatnam - 530035

(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं.13/2023 (अधीक्षक)

Establishment Order (G.O) No. 13/2023 (SUPERINTENDENTS)

दिनांक 03 जुलाई 2023 Dated 03rd July 2023

स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं 04/2023 दिनांक 27.04.2023 के अनुच्छेद 3 को और स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं 12/2023 दिनांक 16.06.2023 को आंशिक संशोधन करते हुए स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं 04/2023 दिनांक 27.04.2023 के सं. क्र. 14 से सं. क्र. 17 तक के अधिकारियों को अपने वर्तमान तैनाती स्थान से अपराहन 03.07.2023 को कार्यमुक्त किया जाता है।


In partial modification to Para 3 of EO (GO) No. 04/2023 dated 27.04.2023 and to EO (GO) No. 12/2023 dated 16.06.2023, Officers mentioned from SI No. 14 to 17 of EO (GO) No. 04/2023 dated 27.04.2023 stand relieved from their present place of posting in the afternoon of **03.07.2023**.

2. इसके अलावा, विशाखापट्टणम क्षेत्र के वार्षिक सामान्य स्थानांतरण के साथ विशाखापट्टणम विशेष आर्थिक क्षेत्र में अधिकारियों की तैनाती को सिंक्रनाइज़ करने के लिए, स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं 04/2023 दिनांक 27.04.2023 और स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं 14/2023 दिनांक 27.04.2023 द्वारा विशाखापट्टणम विशेष आर्थिक क्षेत्र में तैनाती के लिए चुने गए सभी अधिकारियों का दो साल का कार्यकाल ए जी टी 2025 तक समाप्त माना जाएगा।

Further, to synchronize the posting of officers to VSEZ with that of Annual General Transfers of Visakhapatnam Zone, the two year tenure of all officers selected for posting to VSEZ vide EO (GO) No. 04/2023 dated 27.04.2023 and EO (NGO) No.14/2023 dated 27.04.2023 would be deemed to have expired by AGT 2025.

3. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.

4. यह मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम जोन के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

 03/07/2023

(एम. श्रीकान्त / M Sreekanth)

अपर आयुक्त / Additional Commissioner

[Issued from file GCCO/II/(3)/51/2023-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM]

सेवा में To

संबंधित व्यक्तियों को (संबंधित आयुक्तालयों के माध्यम से) ।

The Individual officers (through respective Commissionerates)

प्रतिलिपि:

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम जीएसटी/गुंटूर जीएसटी /तिरुपति जीएसटी / गुंटूर लेखा परीक्षा/ हैदराबाद (संनिप्रा) ।

2. विकास आयुक्त, विशाखपट्टणम विशेष आर्थिक क्षेत्र - श्री सी एच वी वी एल एन कमलाकर राव, अधीक्षक को तुरन्त कार्यमुक्त करने के अनुरोध के साथ।
3. मु.ले.अधिकारी/ वे एवं ले. अधिकारी, विशाखापट्टणम/गुंटूर/तिरुपति ।
4. सूचना पटल/वेबसाइट/स्टॉक फाइल ।

Copy to:

1. The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam CGST / Guntur CGST /Tirupati CGST / Guntur Audit / Hyderabad (CCA).
2. The Development Commissioner, VSEZ, Duvvada - with a request to relieve Shri.Ch.V.V.L.N.Kamalakar Rao, Superintendent immediately.
3. CAO/PAO of Visakhapatnam/Guntur/Tirupati CGST.
4. Notice Board/website/Stock file.